चौथी अनुसूची

[धारा 137(1) **देखिए]**

अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 299(अ),तारीख 31 मार्च, 2000 [28/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, (एन.टी.), तारीख 31 मार्च 2000]	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :– ‘ **स्पष्टीकरण 2**–– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “सम्मिश्र मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है, जो उसी कारखाने के भीतर धागे की कताई के साथ विद्युत की सहायता से कपड़ों के प्रसंस्करण ओर कपड़ों की बुनाई या क्रोशियाकारी में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई बहु अवस्थान वाली सम्मिश्र मिल, अर्थात् कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है जो तन्तु से धागे की कताई के साथ विद्युत की सहायता से कपड़ों के प्रसंस्करण और उसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्वाधीन एक या अधिक कारखानों में कपड़ों की बुनाई या क्रोशियाकारी में लगी हुई है । ’ ।	1 अप्रैल, 2000